


रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और कोलिर की अपेक्षित संख्या न करने के बिना	2	तारीख जयकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of application for the copy	Date fixed for noti. the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
22/7/08	22/7/08	22/7/08	22/7/08	22/7/08



FOLIO NOT AVAILABLE
 एचडी प्रतिलिपि अतिम प्रकाशित खतियान के खसरा संख्या 1165
 खता नं० 288 खसरा सं० 9 जमशेपुर अधिरापी क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।
 तोपी सं०

खतियान की क्रम सं०	अधिधारी का नाम पित्त का नाम कासि और निवास	खेत		भूरी का स्वरूप	एकका सं० आर० सं०	अधुक्ति	शरदाधारी का नाम और उसकी खेपट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेपट संख्या यदि हो		(1) अधिधारी रयत कर ईशियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार मियत किया गया, आसोही (प्रोग्रेसिव हो तो पिशियॉ)। (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध कात यदि हो।
		खेसरा संख्या	बोडरी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित लगान। 1 लगान 2 संस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 संस	
288	प्रतिभा रावरी सका प्रत वाजापद सका	1165	4	परती	0.09.20	4	एकाविला लगान	4	11 कासरी

सच्ची प्रतिलिपि
 अतिरिक्त पोल
 सिंहभूम पन्डो
 जमशेपुर

एक 22/7/08
 22/7/08
 प्रतिलिपिक

तुलना किया
 22/7/08

Certified to be True Copy
 Head Clerk to the Settlement office
 is authorised U/s 78 of the
 Indian Evidence Act 1872

नए रूप में अतिरिक्त जेयनामपुर कारखाने अधिनियम
 1908 की धारा 83(2) तथा धिदर एंड उडीसा
 नगरपालिका अधिनियम 1920 की धारा 10(1)
 के अंतर्गत तैयार हुआ और इसका अन्तिम प्रकाशन
 पिनांक 18.11.1978 किया गया।
 अन्तिम त्रुटि का प्रमाण यह दिनांक 18.11.1978
 को प्रस्तावित हुआ।

Manju Bhatnagar